न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 86/2019/251 (ए) आरटीए

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 53 वर्ष
2. कमलेश पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 48 वर्ष
3. गणेश पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 32 वर्ष
4. जुगलकिशोर पुत्र भगवाना उम्र 54 वर्ष
5. पवन पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 35 वर्ष
6. विनोद पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 45 वर्ष
7. श्रवण पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 40 वर्ष
8. शांति देवी पत्नि रामेश्वरलाल उम्र 78 वर्ष
9. रामजीलाल पुत्र भगवाना उम्र 50 वर्ष
10. प्रहलाद पुत्र बालूराम उम्र 75 वर्ष

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण गोठडा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर राज0

—प्रार्थीगण

ब ना म

1. केशरदेव पुत्र गणपत उम्र 75 वर्ष
2. ओमप्रकाश पुत्र गणपत उम्र 55 वर्ष
3. महावीर प्रसाद पुत्र गणपत उम्र 65 वर्ष
4. सांवरमल पुत्र गणपत उम्र 60 वर्ष

   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण गोठडा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर
5. तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर राज.
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जरिए मैनेजर

—अप्रार्थीगण

7. निर्मला पुत्री रामेश्वरलाल उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी गोठडा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर राज0

—प्रफोर्मा अप्रार्थीया

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति—

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नरेश कुमार भूकर, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 26.08.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1478/186 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 07 की खातेदारी भूमि है। आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 0.68

उपखण्ड अधिकारी धोद म. सीकर

हैक्टर वाके ग्राम गोठडा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदार की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1478/186 में आने जाने, उंट गाडी, ट्रैक्टर, जीप, कार ट्रक लाने ले जाने के लिए रास्ते की अति आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियो में आने जाने का एकमात्र रास्ता बामणी जोहडी खसरा नम्बर 1468/188 से चलकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 187 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अवस्थित है। इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमियो में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। उक्त रास्ता लगभग 10 फिट चौड़ा रास्ता है जो एकमात्र लघुतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियो की जोत के लिए भूमि खसरा नम्बर 187 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे स्थित रास्ते से ऊंट गाडी, लड्डा, ट्रैक्टर ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने व पशुधन लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहे है जो रास्ता कटानी रास्ता नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उक्त रास्ते को बंद करने की कुचेष्टा में लगे रहते है तथा उक्त रास्ता सकड़ा होने से प्रार्थीगण ऊंटगाडी, लड्डा, ट्रैक्टर ट्रोली लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त रास्ता विस्तारित कर 15 फिट चौड़ा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण ने आज से करीब 5 दिन पूर्व अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन करवाने व रास्ते की भूमि के बदले डीएलसी राशि देने अथवा रास्ते के बदले भूमि देने के लिए कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता देने बाबत सहमति जाहिर की तथा तहसीलदार धोद के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 187 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि के बराबर भूमि खसरा नम्बर 1478/186 में से भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया तो अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 व खसरा नम्बर 1478/186 के समस्त खातेदारान की उपस्थिति को आवश्यक बताया तथा अप्रार्थी संख्या 3, 4, व फरफोरमा अप्रार्थी संख्या 7 यहां उपस्थित नही होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हो सका तथा आवेदन पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक होकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। आवेदन पत्र उचित कोर्ट फीस स्टाम्प पर सादर प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारी प्रतिनिधि होने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 6 के यहां अप्रार्थीगण की भूमियां रहन होने के कारण तथा अप्रार्थी 7 का हित भी प्रार्थीगण के साथ ही निहित होने व वर्तमान में यहां उपस्थित नही होने के कारण उसे अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1478/186 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खेत खसरा नम्बर 187 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री नरेश कुमार भूकर उपस्थित होकर जवाब आवेदन पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 05 तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/20/87 दिनांक 24.01.2020 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी सं. 06 पर विधिवत तामील हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 07 की ओर से अभिभाषक श्री श्री नरेश कुमार भूकर उपस्थित हुये। इस दौरान वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अ.

उपखण्ड अधिकारी
... सीकर

Scanned with CamScanner

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व सूची दस्तावेजात आदि पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। जिसका अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब न देकर उक्त आवेदन पर अनापत्ति जाहिर कर उक्त आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त करने पर आवेदन अ. आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तदनुसार नवीन खसरा को समाहित कर अंकितशुदा संशोधित वाद–पत्र पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य आपसी सहमति होना ज्ञात है। रास्ता फैसल किये जाने की दशा में रास्ता की भूमि के बदले प्रतिकर के रूप में आपसी सहमति के आधार पर भूमि ही दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः तहसीलदार, धोद की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि–
(अ) तहसीलदार, धोद की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 30.12.2019 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर के प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1513 / 1478, 1514 / 1478, 1515 / 1478 व 1516 / 1478 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 187 रकबा 0.6800 हेक्टेयर की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे चौड़ाई 4.60 मीटर कुल रकबा 370 वर्ग मीटर प्रदर्शित नजरी नक्शा में लाल रंग से (प्रस्तावित रास्ता) अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।
(ब) खसरा सं. 187 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते / पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।
(स) उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1513 / 1478 रकबा 0.0600 हेक्टेयर में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रकबा 370 वर्गमीटर (संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 30.12.2019 में लाल रंग अंकित बदले की भूमि) भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु0 सीकर

Scanned with CamScanner